

कार्यालय पुलिस महा निरीक्षक, राजस्थान, जयपुर ।

स्थाई आदेश नं०

6

जयपुर, दिनांक : 2.7.68

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 26(1)

के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार आरबी (सी:पी:) के मुख्य आरबी (जा के रूप अफिटेन्ट) के पद पर गुप्तचर विभाग, अपराध शाखा में पदोन्नति हेतु परीक्षा के स्तरीय वास्तव्य विवरण निर्धारित किया जाता है ।

2- अर्हता (कवालिफिकेशन) परीक्षा 225 अंकों की होगी, जिसका विवरण सलग्न या अन्य विवरण में अंकित है ।

3- राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24(2) के अन्तर्गत जैसा कि नियम 23 व 24 में अंकित है, समिति ही परीक्षा हेतु मन रण्ड (जा इटोरिया) निर्धारित करेगी ।

4- समिति ही परीक्षा हेतु तिथि, समय एवं स्थान निश्चित करेगी एवं परीक्षा हेतु कार्यवाही संपादित कर, परिणाम घोषित करेगी ।

महा निरीक्षक आरबी,  
राजस्थान ।

प्रतिनिधि :-

- 1- समस्त उप महा निरीक्षक आरबी, राजस्थान ।
- 2- समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान ।
- 3- समस्त कमान्डेन्ट, आरबी: वेदालियन ।
- 4- प्रधान चर्च, पुलिस प्रशिक्षणालय, किशनगढ़ ।
- 5- सहायक महा निरीक्षक आरबी, (प्रथम) राज० जयपुर ।
- 6- लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर ।
- 7- अपर अधीक्षक आरबी, केंद्रम भंडार, जयपुर ।
- 8- संचालक, स्टाफ स्टाफ जयपुर ।
- 9- समस्त जौन आ पीस, राजस्थान, जयपुर ।
- 10- समस्त ग्रुप इन्चार्ज, पी: एच: ड्यू:
- 11- पुलिस गजट लिपिक ।

स्था/25-6